


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

रामेश्वर लाल हरिजन व्याख्याता-अंग्रेजी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सिरियासरकलां, झुन्झुनूं के द्वारा राजस्थान सेवा नियम-08 में उल्लेखित कार्यवाही/शर्तों को पूर्ण कर अपना नाम रमेश वर्मा परिवर्तित किया है।

अतः वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.1(12)एफडी(ईआर)/67 जयपुर दिनांक 10.04.1967 के परिप्रेक्ष्य में रामेश्वर लाल हरिजन व्याख्याता-अंग्रेजी, के राजकीय सेवा संबंधित समस्त अभिलेखों में इनका नाम रामेश्वर लाल हरिजन के स्थान पर रमेश वर्मा अंकित करने की विभागीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।


भविष्य में रामेश्वर लाल हरिजन से संबंधित राजकीय आदेश, कार्यों, सेवा पुस्तिका एवं सेवा अभिलेख में परिवर्तित नाम " रमेश वर्मा " से जारी किये जावें।


(सौरभ स्वामी)

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी-1/अंग्रेजी-संस्कृत/नाम परिवर्तन/2015-16 दिनांक: 04/08/2021
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, जयपुर।
2. संबंधित उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधी विभाग,
3. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा,
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा,
5. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,
6. संबंधित प्रधानाचार्य,
7. संबंधित कार्मिक
8. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/डीपीसी अनुभाग(प्रभाग-ओएसी)/संस्थापन-एवी/वि0जांच अनुभाग कार्यालय हाजा
9. रक्षित


1 संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 22.02.2021 द्वारा श्री दुर्गाराम चौधरी प्राध्यापक अंग्रेजी राउमावि रावतसर, बाड़मेर, जिनकी जन्म तिथि 20.08.1966 है एवं राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 13.09.1986 द्वारा राजस्थान सेवा नियम 50 (1) के प्रावधानानुसार कार्मिक 15 वर्ष की योग्य सेवा पूर्ण करने के उपरान्त इनकी स्वयं की प्रार्थना पर राजस्थान सेवा नियम 50(1) के अन्तर्गत दिनांक 31.07.2021 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की गई थी। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए इनका नाम दुर्गाराम चौधरी के स्थान पर दुर्गाराम पढा जावें।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री दुर्गाराम प्राध्यापक अंग्रेजी के विरुद्ध आज तक :-


1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं थी।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-19 के अधीन को विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं थी।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं थी।


(सौरभ स्वामी)

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-1/अंग्रेजी-संस्कृत/स्वै.से.नि./2015-16/2018/ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत प्रेषित है :- दिनांक: 04/08/2021

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, जयपुर।
2. संबंधित उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधी विभाग,
3. संबंधित संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
4. सिस्टम एनेलिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
5. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बाड़मेर
6. प्रधानाचार्य, राउमावि रावतसर, बाड़मेर को भेजकर लेख है कि उक्त कार्मिक से ऑडिट संबंधित वसूली/अन्य वसूली यदि निवाली जावेगी तो सम्पूर्ण जिम्मेवरी कार्मिक की होगी, इनके विरुद्ध अन्य कोई न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, का स्वयं हस्ताक्षरित शपथ-पत्र प्राप्त कर निर्धारित तिथि को सेवानिवृत्ति संबंधित कार्यवाही करें।
7. कार्मिक श्री दुर्गाराम व्याख्याता अंग्रेजी (वरिष्ठता क्रमांक:-2176/2007-08, व्या0 पद पर डीपीसी चयन वर्ष-2018-19)
8. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एसीआर/एबी/प्रभारी ओएसी प्रभाग, अनुभागों को सूचनार्थ।
9. निजी/रक्षित पत्रावली


1 संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर